सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 16.04.2026

- ***01 अंतर्राज्यीय अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।***
- ***कब्जे से 01 स्विफ्ट कार, 01 अवैध चाकू, 01 मोबाइल बरामद ।***

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बकेवर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध/आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 15/16.04.2026 की रात्रि को थाना बकेवर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत पूर्वी तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान 01 स्विफ्ट कार कस्बा बकेवर की ओर से आती हुयी दिखाई दी जिसे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुये 01 व्यक्ति को पूर्वी तिराहे से कार सहित गिरफ्तार किया गया ।

नोटः- अभियुक्त का साथी सौरभ तोमर अँधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है ।

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार व्यक्ति से पुलिस टीम द्वारा नाम-पता पूछते हुये कार की तलाशी ली गयी तो कार के अन्दर से 01 अवैध चाकू, 01 मोबाइल बरामद हुआ । जिसके सम्बन्ध में पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि यह कार मैंने अपने साथी सौरभ तोमर के फोन से भोपाल रेलवे स्टेशन से बुक की थी तथा अपनी लोकेशन पहुंचने से पहले हम दोनों ने मिलकर बाथरूम का बहाना बनाकर गाड़ी रुकवाई तथा इसी चाकू से चालक पर वार करके उसे घायल कर दिया तथा उससे यह गाड़ी छीन ली एवं चालक को गाड़ी की पीछे वाली सीट पर डालकर ले जाने लगे परन्तु थाना दोहरा जिला सिहोर के पास एक पेट्रोल पम्प पर चालक घायल अवस्था में गाड़ी से कूद गया ।

उक्त गिरफ्तारी, बरामदगी के संबंध में थाना बकेवर पर **मु0अ0सं0 99/26 धारा 109, 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. आदित्य रावत पुत्र देवेन्द्र रावत निवासी अचलपुरा थाना कम्पू जनपद ग्वालियर, हाल पता आमखो बस स्टैण्ड पानी की टंकी के पास, शिवाजी नगर थाना कम्पू जनपद ग्वालियर, उम्र 24 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 99/26 धारा 109, 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 01 अवैध चाकू
2. 01 मोबाइल
3. 01 स्विफ्ट कार **(भोपाल से लूटी हुयी सम्बन्धित मु0अ0सं0 01/26 धारा 309(6)/140(3) बीएनएस थाना दोराहा जनपद सिहोर)**

पुलिस टीम- श्री विपिन मलिक थानाध्यक्ष बकेवर, उ0नि0 अंकित पटेल, हे0का0 गजेन्द्र सिंह, हे0का मनमोहन सिंह, हे0का0 प्रदीप कुमार, हे0का0 राजेश सिंह, का0 रवि पंवार, का0 सतीश कसाना, का0 टिंकू कुमार, का0 विवेक कुमार, का0 प्रवेन्द्र कुमार का0 चालक अखिलेश कुमार।